रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-291/2026/2338/22-2-2025-17(1193)/2023
लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ओमदत्त (बन्दी संख्या-19745) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी- पिलाना, जनपद-मेरठ, हाल थाना-सिंघावली अहीर, जनपद-बागपत, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-654/1986 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, षष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के दण्डादेश दिनाक 16.07.1990 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनाक 13.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। 2-एस०टी०नं0-462, 463/2016, भा०द०वि० की धारा-307/34 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागपत के आदेश दिनांक 25.02.2019 द्वारा 05 वर्ष का कारावास, अर्थदण्ड 15 हजार रूपये ना देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास। 3-एस०टी०नं०-2831/2016 भा०द०वि० की धारा-174ए, 229ए के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के आदेश दिनांक 01.12.2022 द्वारा 04 वर्ष का कारावास, अर्थदण्ड 03 हजार रुपये ना देने पर 25 दिन का अतिरिक्त कारावास। बन्दी द्वारा दिनांक 10.11.2025 तक अपरिहार 11 वर्ष, 00 माह, 10 दिन तथा 13 वर्ष, 05 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बागपत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-291/2026/2338(1)/22-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/बागपत।
3- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, मेरठ/बागपत।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।